भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 मार्च, 2006

संख्या का० आ० 37/ह० अ० 6/2003/धा० 2 तथा 55/2006.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) तथा (य ण) के साथ पठित धारा 55 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा में कार्यरत उड़नदस्ता अधिकारी को आयुक्त की सहायतार्थ नियुक्त करते हैं तथा इस अधिनियम के उपरोक्त खण्ड के अर्थ के भीतर उसे निर्धारण प्राधिकारी तथा कराधान अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में प्राधिकृत करते हैं।

एल० एस० एम० सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।